

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratisthan, Uffair परीक्षा सत्र / Examination Session 2021-22

## वेद-भूषण प्रथम वर्ष से वेद-भूषण चतुर्थ वर्ष एवं वेद-विभूषण प्रथम वर्ष परीक्षा संचालने दिशा-निर्देश अधिसूचना

Notification Examination for students of Veda Bhushan 1<sup>st</sup> year to 4<sup>th</sup> year and Veda Vibhushan 1<sup>st</sup> year for the Academic Session 2021-22. Guidelines for conduct of the examinations

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन द्वारा संचालित/अनुदानित वेद पाठशालाओं एवं गुरुशिष्यपरम्परा योजना इकाईयों के वेद-भूषण प्रथम वर्ष से वेद-भूषण चतुर्थ वर्ष एवं वेद-विभूषण प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है।

विगत वर्षों के अनुभवों में कोविड-19 अथवा ओमिक्रॉन के प्रभाव/फैलाव को ध्यान में रखते हुए भारत-सरकार के निर्देशों के अनुपालन में परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य एवं अनुकूलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परीक्षा आयोजित की जा रहीं है। दिनांक अनुसार परीक्षा सत्र 2021-22 की समय-सारिणी प्रतिष्ठान की वेबसाईट पर दर्शाई गई है। साथ ही परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें।

Examinations for students of Veda Bhushan 1<sup>st</sup> year to 4<sup>th</sup> year and Veda Vibhushan 1<sup>st</sup> year studying in the Veda Pathashalas and Guru Shishya Parampara (GSP) Units affiliated and financially assisted by the Pratishthan have been scheduled to be conducted as per the date-wise details notified in the website of the Pratishthan.

Based on the experience of the past two years regarding spread of Covid-19/Omicron pandemic and the guidelines issued by the Govt. of India, examinations will be conducted with utmost consideration to safety, health and convenience of the students. Admit Cards of the students for appearing in the examinations may be downloaded from the website.



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratisthan, Ujiain परीक्षा सत्र / Examination Session 2021-22

वेद-परीक्षकों/पर्यवेक्षकों की बैठक व्यवस्था व परीक्षा स्थल पर परीक्षा संचालन हेतु निर्देश :-

Instructions for the Veda Examiners and Observers for conduct of examinations:-

- 1. परीक्षा स्थल पर समस्त परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाना होगी, यह सुनिश्चित कर लें परीक्षा स्थल को सेनेटाईज़ किया गया हो। / It may be ensured that the examination centre is sanitized properly and thermal screening of the students is conducted before entry to the examination centre.
- 2. वेद की मौखिक परीक्षा हेतु परीक्षकों हेतु गद्दा, लोड सिहत डेस्क लगा होना चाहिए। छात्रों की बैठक व्यवस्था हेतु कक्ष में साफ दरी अथवा आसन लगा होना चाहिए। / For oral examination of Veda, seating arrangements for the examiners may be made with mattress/carpet and a front desk. The students may be provided with dhurri or asan for sitting in front of the examiner.
- 3. समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में समय से 15 मिनिट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा स्थल में लिखित परीक्षा हेतु सुव्यवस्थित बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में छात्र केवल नीले बॉल पेन का उपयोग करेंगे। पेन्सिल का उपयोग वर्जित है। / The students have to reach the examination hall 15 minutes before the examination starts. For the written examination, appropriate seating arrangements may be made. Answer papers may be written only in ball pens with blue ink.
- 4. छात्रों के रोल नं. एवं कक्ष क्रमांक परीक्षा केन्द्र कार्यालय पर चस्पा होना चाहिए। परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन का उपयोग सभी के लिए पूर्णतः वर्जित है। अनिवार्य होने पर ही केन्द्र-पर्यवेक्षक की अनुमित से उपयोग कर सकते हैं।

  / The Roll Nos. and Hall Nos. of the students should be displayed in the entry gate of the examination centre. Use of mobile phones in the examination hall is strictly prohibited.

  Only in case of emergency, mobile phones may be used with the permission of the centre observer.
- 5. परीक्षा नियंत्रक केन्द्र-पर्यवेक्षक रहेंगे। सभी सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर निश्चित तिथि एवं समय पर अवश्य उपस्थित हों। पर्यवेक्षक से हस्ताक्षर से ही प्रश्नपत्र का गोपनीय लिफाफा समय से 15 मिनिट पूर्व खोला जा सकेगा। / Centre observer will be the controller of examination. Therefore, the centre observer must reach the examination centre in time. Only after his approval the confidential envelope containing the question papers may be opened.
- 6. परीक्षा स्थल पर वेद की मौखिक परीक्षा हेतु वेद-शाखा का एक पैनल होगा, जिसमें दो वेद-परीक्षक व एक वेद-पर्यवेक्षक होंगे जो छात्र का समुचित मूल्यांकन करेंगे। दोनों वेद परीक्षक छात्र का एक समग्र मूल्यांकन प्रपत्र भरेंगे और पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणी पृथक से प्रस्तुत करेंगे। / For oral examination of Veda, a panel of two



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म्प्र

## Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratisthan, Ujjain

परीक्षा सत्र / Examination Session 2021-22

Veda examiners and one Veda observer will be formed to assess the student properly. The Veda examiners will award marks in a joint evaluation sheet and the Veda observer will submit a separate report with his comments.

- 7. समस्त प्रपत्र केन्द्राध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। वेद-परीक्षक छात्रों की परीक्षा का मूल्यांकन प्रामाणिकता से करें, केवल टिप्पणियाँ न लिखे छात्र के अध्ययन स्वरसञ्चालन/कण्ठस्थीकरण/ उच्चारण अनुरूप ही अंक प्रदान करें। वेद-परीक्षक सस्वर-वेद- परीक्षा-अभिलेख में परीक्षा दिनांक एवं हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। / Forms will be made available by the centre-in-charge. Veda examiners may evaluate the students with responsibility and authenticity and not by giving observation alone. Marks may be awarded as per assessment of the quality of Veda study, memorization, intonation and recitation by the students. Saswar Veda examiners must clearly write their names below their signatures in the assessment report.
- 8. िलिखत परीक्षा की जो दिनांक समय सारिणी पर दी गई है, उसमें लिखित परीक्षाएं प्रथम दिवस की प्रथम पाली में प्रातः 08 से 11 बजे के मध्य आयोजित कराई जाएं। जिसमें छात्रों के हस्ताक्षर सूची में चारों आधुनिक विषयों की कमझः (संस्कृत, अंग्रेजी, गणित एवं सामाजिक-विज्ञान) कराएं। शेष समय में वेद की मौखिक परीक्षा जारी रहेगी। / Written examinations may be conducted in the first session of the first day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m. as per the dates given in the examination schedule. Signature of the students for examination of the modern subjects may be obtained in the order of Sanskrit, English, Mathematics and Social Science. Thereafter, oral examination of Veda will continue.
- 9. प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत छात्रों की ही परीक्षा आयोजित होगी। छात्र का सत्यापन आधार-कार्ड/छात्र की बैंक पास बुक से करें। छात्र का सत्यापन न होने पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।/ Examination will be conducted only for the affiliated students of the Pratishthan. Identity of the students may be authenticated from the Aadhar Cards/Bank Passbooks, without which the students will not be allowed to appear in the examination.
- 10. जिन छात्रों के प्रवेश-पत्र पर फोटो नहीं है, उन छात्रों को परीक्षा केन्द्र-पर्यवेक्षक से स्वीकृति उपरान्त ही परीक्षा आयोजित कराई जाए। ऐसे छात्रों की परीक्षा प्रतिष्टान द्वारा पूर्व स्वीकृति पर ही मान्य होगी। / Students who do not have their photographs affixed on the Admit Cards will be allowed to appear in the examinations ONLY after obtaining written approval of the centre observer and the Pratishthan.



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratisthan प्रांवां परीक्षा सत्र / Examination Session 2021-22

- 11. कक्षा प्रोन्नत छात्रों की परीक्षा प्रवेश-पत्र में दिए गए विवरण अनुसार होगी। इसका पृथक से लिफाफा परीक्षा सामग्री के साथ प्रेषित किया गया है। / Examination for the promoted students will conducted as per the details given in their Admit cards. Separate envelope containing examination materials have been sent in this regard.
- 12. परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी, नकल, इत्यादि को रोकने का उत्तरदायित्व केन्द्र-पर्यवेक्षक एवं परीक्षा केन्द्राध्यक्ष का है। जो भी व्यक्ति नकल आदि करने में सहयोग करते पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही होगी। / Responsibility to prevent any sort of irregularity in the examination will be on the centre observer and the centre in-charge. Appropriate action will be taken against anyone found involved in committing/assisting in irregularities in the examination.
- 13. पर्यवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष एवं परीक्षा व्यवस्था मे सम्मिलित सभी व्यक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नियमों की परिधि में रहेंगे। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही होगी। / The Centre observer, centre in-charge and all others associated with the conduct of the examinations will fall under the purview of the Central Vigilance Commission's guidelines and action will be taken for any irregularity in the examination as per rules.
- 14. पर्यवेक्षक परीक्षा स्थल पर पूरे समय उपस्थित रहेंगे एवं निरीक्षण कर परीक्षा में पारदर्शिता बनाएं रखेंगे। मूल्यांकन प्रपत्र पर पर्यवेक्षक, परीक्षक एवं केन्द्र-व्यवस्थापक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। प्रत्येक छात्र के छात्र सूची पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कराना होगा। अनुपस्थित छात्र के स्थान पर लाल स्याही से अनुपस्थित लिखें। परीक्षा केन्द्र पर यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या परीक्षा संचालन सम्बन्धी कोई शिकायत पाई जाती है, तो ऐसे परीक्षा केन्द्र को गम्भीरता से लेते हुए परीक्षा केन्द्र पर कार्यवाही की जाएगी। / The centre observer shall be available in the examination centre for the entire duration of the examination and conduct the same in an efficient manner. It is mandatory to have signatures of the centre observer, examiners and centre in-charges in the evaluation sheets of the students. Signature of the students must be obtained against their names in the list of students. Red ink marking may be made against the names of the absent students. If any indiscipline is noticed or any complaint is received against the examination centre, it will be viewed very seriously and appropriate action will be taken.
- 15. परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार का मानदेय, यात्रा व्यय आदि का भुगतान परीक्षा केन्द्र द्वारा नहीं किया जाएगा। बिल प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान प्रतिष्ठान द्वारा RTGS/PFMS द्वारा किया जायेगा। परीक्षा में आये हुए पर्यवेक्षक, वेदपरीक्षक, केन्द्र-व्यवस्थापक आदि का मानदेय पारिश्रमिक, टी.ए. का भुगतान (वायुयान, राजधानी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन का किराया मान्य नहीं होगा।), भोजन एवं आवास व्यवस्था का भुगतान बिल प्राप्ति के



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (मुख्ना)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratisthan, Ujjain परीक्षा सत्र / Examination Session 2021-22

पश्चात् ही प्रतिष्ठान नियमानुसार द्वारा किया जाएगा।/ Honorarium do centre observers/examiners/centre in-charges, travel expenses, food and accommodation charges etc. will NOT be paid in the examination centre. After receipt of the bills in the Pratishthan, the same will be paid through RTGS/PFMS/TSA. Travel expenses for journey by Air/Rajdhani Express/Shatabdi Express will Not be allowed.

16. केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रदत्त छात्रों की उपस्थित को पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया जाना होगा। सुनिश्चित करें कि परीक्षा में सिम्मिलित समस्त छात्रों ने पर्यवेक्षक-सूची में हस्ताक्षर किये हैं एवं परीक्षा में सिम्मिलित हुए हैं। परीक्षार्थियों की परीक्षा, आवास एवं भोजन व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन भी पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित कर केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से प्रतिष्ठान कार्यालय, उज्जैन को परीक्षा समापन के दिन से (स्पीड-पोस्ट से) 15 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। / Attendance sheet prepared by the centre in-charge will have to be attested by the observer. It may be ensured that all the students appearing in the examinations must put their signatures in the attendance sheet. The centre in-charge must submit his report on the entire arrangement for the students' food, accommodation and other matters relating to the conduct of the examinations, attested by the centre observer, to the Pratishthan by speed post within fifteen (15) days of completion of the examinations.

आज्ञा से / By Order

दिनांक / Date :- 07/02/2022